

प्राचार्य का कार्यालय  
राजकीय पोलिटेकनिक राघोपुर, सुपौल

पत्रांक-2023.A

दिनांक-19/07/2023

पुस्तकालय के नियम

- सभी छात्र और संकाय सदस्य पुस्तकालय के सदस्य हैं।
- पुस्तकालय में प्रवेश से पहले उपयोगकर्ताओं को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा।
- पुस्तकालय में व्यक्तिगत सामान लाने की अनुमति नहीं है।
- बिना अनुमति के पुस्तकालय से कोई भी मुद्रित सामग्री नहीं ली जा सकती है।
- उधार ली गई सामग्री पुस्तकालय छोड़ने से पहले पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा जांच की जा सकती है।
- मुद्रित सामग्रियों के पृष्ठों में लिखने एवं रेखांकित करने और पृष्ठों को फाड़ने आदि की अनुमति नहीं है।
- दो सप्ताह के लिए दो पुस्तकें जारी की जाती हैं मुद्रित नियत तारीख को या उससे पहले वापस करना होगा।
- पुस्तकें केवल कार्डधारकों को दी जा सकेंगी। विलम्ब से पुस्तक प्राप्ति पर 2 रुपये का जुर्माना प्रति दिन प्रति पुस्तक छात्रों से लिये जायेंगे।
- यदि पुस्तकें लेने के पश्चात खो जाती हैं तो पाठक को समान/उच्चतर संस्करण की नई पुस्तक वापस करनी होगी। यदि पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं, तो पाठक को पुस्तक मूल्य के साथ 500 रुपया भुगतान करना होगा।
- कॉलेज छोड़ने पर छात्रों को लाइब्रेरी से No Dues प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- पुस्तकालय सहायक छात्रों से प्राप्त जुर्माना की राशि महिना के अंत में SDF A/C में जमा करेंगे।

Rahul Kumar Chaudhary  
19/07/2023

पुस्तकालय प्रभारी,  
राजकीय पोलिटेकनिक  
राघोपुर सुपौल।

Rahul Kumar Chaudhary  
19/07/2023

प्रभारी प्राचार्य,  
राजकीय पोलिटेकनिक  
राघोपुर सुपौल।